

ISO NO.:21-ICA-02AA-1283

PWBVY

प्रगतिवाद बाल विकास योजना

“हम सब का यह नारा है, निरक्षर को साक्षर बनाना है” रजि, सं०-110
॥ दान से अनुदान तक ॥

प्रगतिवाद बाल विकास योजना

प्रधान कार्यालय :- 309, तीसरी मंजिल आदर्श कॉम्प्लेक्स, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110052
कार्यालय :- सुपौल ब्लॉक के पास, सुपौल, बिहार-852131

E-mail: info@pwbvyindia.org

Website:- www.pwbvyindia.org

CSR NO.:- 00027651

NITI AAYOG ID: DL/2020/0251982

PAN NO.- AAETP3469J

Section-80G

Unique Registration No.:AAETP3469JF20220

Section-12A

Unique Registration No.:AAETP3469JE20214

पत्रांक: PWBVY/146/BR24

दिनांक: 23 July 2024

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

पूर्वी चंपारण (बिहार) -845401

विषय:- प्रगतिवाद बाल विकास योजना ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में प्रोत्साहन करने हेतु अधीनस्थ पदाधिकारी को निर्देश देने के संबंध में।

मोहदय,

हमारी संस्था प्रगतिवाद बाल विकास ट्रस्ट भारतीय ट्रस्ट अधिनियम-1882 के अंतर्गत दिल्ली से अखिल भारतीय स्तर पर पंजीकृत है।

जिसकी पंजीयन संख्या 110 है। दिल्ली प्रदेश में प्रधान कार्यालय- प्लॉट नंबर-309, तीसरा मंजिल, आदर्श कॉम्प्लेक्स, कम्युनिटी सेंटर, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110052 में स्थित है। हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देना और सामाजिक कल्याण के कार्य करना। जिसके अंतर्गत बिहार राज्य के विभिन्न जिलों के विभिन्न प्रखंडों में निम्नांकित कार्यक्रम चला रहे हैं। इस संबंध में आप से अनुरोध है की आप अपने स्तर से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं पंचायत मुखिया को अपेक्षित सहयोग देने हेतु निर्देशित करने की कृपा की जाए।

चलाये जा रहे कार्यक्रम का व्यौरा निम्नवत है।

- बाल विवाह रोकथाम जागरूकता अभियान:- बाल विवाह से उत्पन्न विकृतियों और सामाजिक बुराइयों के प्रति आम नागरिक को जागरूक करने के लिए हमारे कार्यकर्ता राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर जागरूकता शिविर संगोष्ठी और नुक्कड़ नाटक एवं सभा के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं।
- प्रगतिवाद बाल विद्यालय:- प्रगतिवाद बाल विकास योजना ट्रस्ट के अंतर्गत प्रगतिवाद बाल विद्यालय हर वार्ड में खोलकर उसके द्वारा उस वार्ड के 3 से 6 साल के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा एवं पोषाहार देकर बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जाता है।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना:- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों एवं महिलाओं को स्वालंबी बनाने हेतु कला कम्प्यूटर सिलाई, कटाई, बुनाई, पेटिंग, सौन्दर्य प्रसाधन व्यावसायिक तकनीकी एवं गैर तकनीकी प्रशिक्षण देना।

8/23-7-24

